

Justification

जिला विदिशा अंतर्गत लटेशी मुण्डेला नजीराबाद मार्ग के निर्माण/ उन्नयन हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत प्रस्तावित है।

उक्त मार्ग के निर्माण में लगभग 8.27 हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित हो रही है। उक्त मार्ग का निर्माण/उन्नयन हो जाने पर यहां रहने वाले ग्रामवासियों को आने जाने में सुविधा होगी एवं दुर्घटनाओं में कमी होगी तथा ग्रामवासियों का आवागमन सुगम हो सकेगा।

कार्यपालक संत्री
लोक निर्माण विभाग, संभाग विदिशा